भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 325

दिनांक 16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

भूमि का सर्वेक्षण

***325. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में भूमि का गहन-सर्वेक्षण किया गया है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तेलंगाना सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा सर्वेक्षण कब तक किये जाने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में 'भूमि का सर्वेक्षण' के संबंध में डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता द्वारा दिनांक 16.07.2019 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 325 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण और सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अभिलेखों का अद्यतनीकरण (ग्राउंड कंट्रोल नेटवर्क और ग्राउंड ट्रुथिंग सहित), 2008 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में अनुमोदित राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के घटकों में से एक घटक था। अब इस कार्यक्रम का डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के रूप में नवीकरण किया गया है और इसे 01 अप्रैल, 2016 से शत प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र स्कीम बनाया गया है।

अब तक, भारत सरकार ने केंद्र के हिस्से के रूप में 909 करोड़ रु. की राशि से 323 जिलों में सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण कार्य स्वीकृत किया है, जिसमें से 695 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 2016-17 में यह रिपोर्ट दी गई थी कि सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण का कार्य केवल 111 जिलों में शुरू हुआ है और जारी की गई राशि में से 380 करोड़ रु. से अधिक की धनराशि अप्रयुक्त रही। राज्य सरकारों की मांग और सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण कार्यकलापों के तहत लंबित कार्यों/अप्रयुक्त निधियों की स्थिति के आधार पर, इस कार्यक्रम की समय-अवधि को 2016-17 से आगे बढ़ाने के समय सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण के तहत पहले से स्वीकृत जिलों का कार्य पूरा करना उचित समझा गया। तदनुसार, सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण घटक को जारी रखने की अवधि को 2016-17 से आगे नहीं बढ़ाया गया। तथापि, चालू कार्यों को पूरा करने की अनुमति दी गई।

तेलंगाना सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधि और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके उपयोग की दी गई रिपोर्ट का ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

*****

लोक सभा के दिनांक 16.07.2019 के तारांकित प्रश्न सं. 325 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित **अनुबंध**

(राशि लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण के लिए जारी निधि (केंद्र का हिस्सा)	सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण पर व्यय (केंद्र का हिस्सा)	सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण के तहत अप्रयुक्त शेष (केंद्र का हिस्सा)
1	आंध्र प्रदेश	6491.00	6491.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	615.00	175.00	440.00
3	असम	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	2416.00	0.00	2416.00
5	छत्तीसगढ़	2180.00	0.00	2180.00
6	गुजरात	12244.00	12244.00	0.00
7	गोवा	199.00	0.00	199.00
8	हरियाणा	2113.00	833.00	1280.00
9	हिमाचल प्रदेश	1627.00	907.00	720.00
10	जम्मू और कश्मीर	374.95	374.95	0.00
11	झारखंड	2235.00	2235.00	0.00
12	कर्नाटक	1101.00	0.00	1101.00
13	केरल	1158.00	1158.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	7470.00	7470.00	0.00
15	महाराष्ट्र	3206.00	0.00	3206.00
16	मणिपुर	106.00	106.00	0.00
17	मेघालय	424.00	0.00	424.00
18	मिजोरम	1527.00	1527.00	0.00
19	नागालैंड	1358.00	1358.00	0.00
20	ओडिशा	5617.00	3516.00	2101.00
21	पंजाब	483.60	483.60	0.00
22	राजस्थान	6567.00	6567.00	0.00
23	सिक्किम	97.97	0.00	97.97
24	तमिलनाडु	507.00	507.00	0.00
25	तेलंगाना	3284.00	0.00	3284.00
26	त्रिपुरा	1004.00	958.00	46.00
27	उत्तर प्रदेश	993.00	0.00	993.00
28	उत्तराखंड	206.44	0.00	206.44
29	पश्चिम बंगाल	3742.00	562.00	3180.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	33.00	0.00	33.00
31	चंडीगढ़	20.50	13.90	6.60
32	दादरा एवं नगर हवेली	25.00	0.00	25.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34	दमन और दीव	12.40	12.40	0.00
35	लक्षद्वीप	3.00	0.00	3.00
36	पुडुचेरी	73.00	0.00	73.00
	कुल	**69513.86**	***47498.85**	***22015.01**

* आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट: (i) कुछ राज्यों को सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण घटक से निधि के अंतर-घटक अंतरण की अनुमति दी गई थी।

(ii) कुछ राज्यों ने अपने ही संसाधनों से सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण पर खर्च किया है।

(iii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य का समानुपाती हिस्सा जारी किया जाना है।